

## प्रेस नोट

### **दीव में पेट्रोल पम्प के पीछे रेबारी रोड़ से अधिक्रमित जमीन खाली कराया गया**

दीव, दिनांक 14/09/2018- दीव में पेट्रोल पंप के पीछे रेबारी रोड के पास पेट्रोल पंप से दीव घोघला ब्रिज सर्किल तक क्रीक के पास सरकारी जमीन पर 14 परिवार रह रहे थे । यहाँ 12 लोग अस्थाई झोपडी बनाकर मछली व्यवसाय कर रहे थे । अन्य 11 लोग नारीयल पत्ते में झोपडी बनाकर रहते थे ।

आज माननीय समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव के मार्गदर्शन में तथा उप समाहर्ता, दीव डॉ. अपूर्व शर्मा के नेतृत्व में उक्त अस्थाई झोपडियों को हटाकर अधिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया गया । अधिक्रमण हटाने के समय दीव के लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, मामलतदार एवं बन्दरगाह कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित थे, जिनके के सहयोग से सालों से उक्त सरकारी जमीन पर किये जा रहे अधिक्रमण को हटाकर जमीन खाली करायी गयी ।

पहले अधिक्रमण कर निवास कर रहे सभी लोगों को 31 अगस्त तक उक्त सरकारी जमीन खाली करने के लिए नोटिस दी गई थी । परन्तु उसके बाद 14 दिन बीत जाने पर भी उन लोगों ने सरकारी जमीन खाली न करने पर आज अधिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, क्योंकि दीव सैरगाह के लिए उक्त जमीन पर विकास कार्य किया जाना था । अधिक्रमण हटाते समय कुछ महिला एवं पुरुष इसका विरोध जरूर किये थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई । सरकारी जमीन से हटाये गए परिवार के लोग अगर पात्रता रखेंगे, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा । अधिक्रमण हटाने के समय एक महिला मधुमेह बीमारी से पीडित पाई गई, जिसे इन्सुलिन देकर उसका ख्याल रखा गया एवं एक परिवार वाले ने गणेश मूर्ति स्थापना की थी, जिसे विधि-विधान पूर्वक पण्डाल में रखा गया । इस प्रकार प्रशासन के सहृदयता और सहयोगी कार्यालयों के सहयोग से सालों से अधिक्रमित जमीन को सफलतापूर्वक खाली कराया गया ।